कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 1546 /11–सी–FP/UP/Others/121963/2021, लखनऊ, दिनांकः नवम्बर 18 ,2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– जनपद–शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिवचौक शामली से थाना भवन तिराहा, (कि0मी0 चैनेज 98.845 से 118.345) कुल लम्बाई 19.500 में 12 " डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाईप डालने हेतु 0.975 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0– FP/UP/Others/121963/2021

संदर्भ– उ0प्र0 शासन की पत्र सं0–पी0–113/81–2–2021–800(97)/2021 दिनांक–14.07.2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर ने अपने पत्रांक–1247/14–10 दिनांक 09.11.2021 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एव क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 1546/11–सी– FP/UP/Others/121963/2021, दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली।
3– श्री सोमिल गर्ग, एडीसन जनरल मैनेजर, इन्द्रप्रस्थ गैस लि0, नई दिल्ली।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

O/C